न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 01/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोधपुर जोन, जोधपुर		1. श्री जुगलकिशोर कालानी पुत्र श्री किशनलाल (मालिक) मै0 रामदयाल किशनलाल कालानी, स्टेशन रोड़ ओसियां जोधपुर निवासी 504 स्टेशन रोड़, ओसियां जोधपुर 2. श्री ओम प्रकाश सोनी (मालिक) मै0 श्री सांवरिया जनरल एण्ड फैन्सी स्टोर, स्टेशन रोड़, ओसियां जोधपुर निवासी स्टेशन रोड़, ओसियां जोधपुर **3.** श्री अमरचन्द किशनलाल पुंगलिया (कर्ता ऑफ एच.यू. एफ.) मै0 द्वारकादास चांदमल 23 सरदार मार्केट, घंटाघर जोधपुर निवासी 45 श्री सत्येन धर्मनारायणजी का हत्था, पावटा, जोधपुर **4.** श्री विनोद कुमार शुक्ला (ऑथराईज्ड सिगनेटरी) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नं0 19,20,21 श्यामनगर, सब्जी मंडी के सामने, रोड़ नं0 14 जयपुर निवासी 92/12जूही लाल कॉलोनी कानपुर उत्तरप्रदेश **5.** श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मुरलीधर (मैंनेजिंग डायरेक्टर) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, 10 एम.आई अलवर निवासी 7/189, स्वरूपनगर कानपुर उत्तरप्रदेश 208002 **6.** श्री राहुल ज्ञानचन्दानी पुत्र श्री मुरलीधर (डायरेक्टर) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, 10 एम.आई अलवर निवासी 7/189, स्वरूपनगर कानपुर उत्तरप्रदेश 208002 **7.** श्री रोहित ज्ञानचन्दानी पुत्र श्री विमल कुमार (डायरेक्टर) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, 10 एम.आई अलवर निवासी 7/189, स्वरूपनगर कानपुर उत्तरप्रदेश 208002 8. श्री विरेन्द्रकुमार सिंह पुत्र श्री रघुराजसिंह (डायरेक्टर) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, 10 एम.आई अलवर निवासी सी 45ए, सेक्टर बी, अलीगंज लखनऊ उत्तरप्रदेश 9. श्री राहुल श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूणकुमार श्रीवास्तव (नोमिनी) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नं0 19,20,21 श्यामनगर, सब्जी मंडी के सामने, रोड़ नं0 14 जयपुर 10. फर्म (जरिये नोमिनी) मै0 एन.आई.एफ. प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नं0 19,20,21 श्यामनगर, सब्जी मंडी के सामने, रोड़ नं0 14 जयपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ZF) (A) (i)(a), 3(1) (ZF) (B) (ii) एवं धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एंव धारा 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 9 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री यू.एस.शर्मा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27.06.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स रामदयाल किशनलाल कालानी, स्टेशन रोड़, ओसियां जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर फर्म पर विक्रेता की हैसियत से श्री जुगलकिशोर कालानी पुत्र श्री किशनलाल कालानी निवासी 504, स्टेशन रोड़, ओसिया जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया एक गत्ते के कार्टून में बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए पाया गया। विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया तो मौके पर प्रस्तुत किया एवं वोटर कार्ड स्वयं की आई डी के रूप में पेश किया। फर्म का निरीक्षण करने पर एक गत्ते के कार्टुन में में 500 मिली. x 13 **घी (सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया** कार्टन पैक आम जनता को वास्ते विक्रय रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को उनके बताये गये बाजार भाव से रूपये 640/- नगद देकर **घी (सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया** 500 मिली. x 4 कार्टन पैक वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **(सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया** 500 मिली. x 4 कार्टन पैक मूल ही तुलवाकर/नपवाकर खरीदा एवं उक्त हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एडी-327** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारो नमूनों को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एडी-327** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोन जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई में गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एडी-327** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की तथा मौका फर्द पर स्वयं गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए जोन जोधपुर द्वारा दिनांक 09.03.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एडी-327** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच

रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/230/एक्ट/2016/259 दिनांक 16.03.2016 अभिहित अधिकारी उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **(सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया** A statement/slogan सर्वगुण सम्पन्न देसी घी given on the label of sample is misleading and crete an erroneous impression होने के कारण नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र की अधिसूचना, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद मौका फर्द, मै. रामदयाल किशनलाल कालानी फुड लाईसेन्स की प्रति, जुगलकिशोर कालानी के वोटर कार्ड की प्रति, जुगलकिशोर कालानी को लिखा पत्र व जवाब प्रति, मै. श्री सांवरिया जनरल एण्ड फैन्सी स्टोर को लिखा पत्र व जवाब प्रति, नमूना सं0 एडी 327 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना संख्या एडी-327 के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट फार्म बी अग्रेषण पत्र, जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या 259, मै. द्वारकादास चांदमल को लिखा पत्र व जवाब प्रति, मै. एन.आई.एफ. प्राइवेट लिमिटेड को लिखा पत्र व प्राप्त जवाब की प्रति, श्री राहुल श्रीवास्तव (नोमिनी) को लिखा पत्र, सी.टी.ओ. अलवर को लिखा पत्र व प्राप्त जवाब की प्रति, अभियोजन संस्थित करने की समय सीमा बढाने की स्वीकृति मय प्रार्थना पत्र, न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र, परिवाद की अतिरिक्त प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंधन करने व धारा 52 के तहत जुर्माना करने का निवेदन किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 04.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री यू.एस.शर्मा ने दिनांक 11.06.19 को जवाब पेश करते हुए यह बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 घी (नमस्ते इण्डिया) ब्राण्ड का फुटकर विक्रेता, अप्रार्थी संख्या 2 थोक विक्रेता व अप्रार्थी संख्या 3 विक्रय/वितरण केन्द्र से संबंधित है। अप्रार्थी संख्या 4 मैसर्स एन0आई0एफ0 प्रा0लि0 के डिपो पर नियुक्त कर्मचारी है। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 मैसर्स एन0आई0एफ0 प्रा0लि0 के प्रबन्ध निदेशक व निदेशक है जिनका नाम इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2019 को इस प्रकरण में डिलीट किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 9 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 प्रावधान 66 के अन्तर्गत नोमिनी मनोनीत है। अप्रार्थी संख्या 10 एन0आई0एफ0 प्रा0लि0 में जरिये नोमिनी है। मौका फर्द दिनांक 08.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी श्री जुगलकिशोर कालानी पुत्र श्री किशनलाल कालानी निवासी 504 स्टेशन रोड़ ओसियां जोधपुर फर्म मैसर्स रामदयाल किशनलाल कालानी स्टेशन रोड़, ओसियां जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने दौरान घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न पैक 500 मिली. x 13 कार्टन में पाये गये। घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न की जांच के दौरान लिये गये नमूने के लेबल पर सर्वगुण सम्पन्न लिखकर उसे खाद्य के रूप में बेचने की कार्यवाही में बाद जांच में घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न का नमूना एडी-327 की जांच कर फूड एनालिस्ट जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 16.03.2016 में नमूना जांच में घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया। इस सबंध में प्राप्त फूड एनालिस्ट जोधपुर की प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन से रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 01 बटायरी रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग विश्लेषण में बतायी गयी सीमाएं 40.0 से 43.0 तक है जबकि अप्रार्थी के घी के संबंध में रीडिंग 40.39 बतायी है। बिन्दू संख्या 02 रेचर्ट वेल्यू में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विधिक स्तर के अनुसार यह 26.0 से कम नहीं होना चाहिये जबकि नमस्ते इण्डिया घी

के सैम्पल में यह 33.56 बतायी गयी है। बिन्दू संख्या 03 फ्रीफेटी एसिड ओलेएक ऐसिड इसका परीक्षण घी के ताजा क्वालिटी का संकेत देता है जो जांच में प्रावधानानुसार 0.05 प्रतिशत बताया गया है जबकि 3 प्रतिशत अधिकतम होना चाहिये। बिन्दू संख्या 04 नमी की मात्रा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित स्तर के अनुसार घी में नमी की मात्रा 0.5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है जबकि अप्रार्थी से बरामद घी में मात्रा 0.03 प्रतिशत बतायी गयी है। बिन्दू संख्या 05 बोदोएन टेस्ट में यह टेस्ट घी नेगेटिव होने के कारण किसी भी मिश्रण की ओर संकेत नहीं करता है। बिन्दू संख्या 06 टेस्ट फॉर मिनरल ऑयल नेगेटिव होना चाहिए जो कि नेगेटिव ही पाया गया है। बिन्दू संख्या 07 जिसमें रंग मिलाने का टेस्ट में किये गये परीक्षण की अनुपस्थिति बतायी गयी है। मैसर्स नमस्ते इण्डिया फुडस प्रा0लि0 के नाम से विख्यात है। उनके पैकिंग का प्रतिनिधित्व न तो झूठा है और नही गुमराह करने वाला है। घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न की क्वालिटी का विवरण सही व सत्य है। उक्त घी में पैंकिग करना या लेबल लगाना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के (पैकिंग व लेबलिंग) अनुरूप है। वैज्ञानिक डाटा खाद्य की उपरोक्त रिपोर्ट में गणितीय प्रकार से स्थापित घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न सभी गुण रखता है तथा प्रतिनिधित्व/गारण्टी सही उनके पैंकिग सर्वगुण सम्पन्न का सत्यापन करता है। रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो किसी उल्लंघन को न्याय पूर्ण बताये चाहे वह उत्तरदाता/निर्माणकर्ता द्वारा पैकिंग/लेबनिंग घी के संबंध में हो तो इन परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। अत: अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंधन करने व धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध जुर्माना करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री यू.एस.शर्मा की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी विभागीय पेरोकार व अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि दिनांक 08.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान फर्म मैसर्स रामदयाल किशनलाल कालानी स्टेशन रोड़, ओसियां जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर एक गते के कार्टन में घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न 500 मिली. x 13 कार्टन पैक में पाये गये। घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न की जांच के दौरान लिये गये नमूने के लेबल पर सर्वगुण सम्पन्न लिखकर उसे खाद्य के रूप में बेचने की कार्यवाही में बाद जांच में घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न का नमूना एडी-327 की जांच कर फूड एनालिस्ट जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 16.03.2016 में नमूना जांच में घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया। इस सबंध में फूड एनालिस्ट जोधपुर की प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन से रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 01 बटायरी रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग विश्लेषण में बतायी गयी सीमाएं 40.0 से 43.0 तक है जबकि अप्रार्थी के घी के संबंध में रीडिंग 40.39 बतायी है। बिन्दू संख्या 02 रेचर्ट वेल्यू में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विधिक स्तर के अनुसार यह 26.0 से कम

नहीं होना चाहिये जबकि नमस्ते इण्डिया घी के सैम्पल में यह 33.56 बतायी गयी है। बिन्दू संख्या 03 फ्रीफेटी एसिड ओलेएक ऐसिड इसका परीक्षण घी के ताजा क्वालिटी का संकेत देता है जो जांच में प्रावधानानुसार 0.05 प्रतिशत बताया गया है जबकि 3 प्रतिशत अधिकतम होना चाहिये। बिन्दू संख्या 04 नमी की मात्रा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित स्तर के अनुसार घी में नमी की मात्रा 0.5 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है जबकि अप्रार्थी से बरामद घी में मात्रा 0.03 प्रतिशत बतायी गयी है। बिन्दू संख्या 05 बोदोएन टेस्ट में यह टेस्ट घी नेगेटिव होने के कारण किसी भी मिश्रण की ओर संकेत नहीं करता है। बिन्दू संख्या 06 टेस्ट फॉर मिनरल ऑयल नेगेटिव होना चाहिए जो कि नेगेटिव ही पाया गया है। बिन्दू संख्या 07 जिसमें रंग मिलाने का टेस्ट में किये गये परीक्षण की अनुपस्थिति बतायी गयी है। इस प्रकार डाटा रिपोर्ट विश्लेषण द्वारा दिनांक 16.03.16 की जांच रिपोर्ट में A Statement ''सर्वगुण सम्पन्न देशी घी'' given on the lable of sample is misleading and create an erroneous impression (Contravention of Regulation of 2.2.1 (3) and 2.3.1 (5) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling Regulation 2011) अंकित कर उल्लंघन बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने परिवाद में जांच रिपोर्ट के आधार पर बरामद घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न मिथ्याछाप होना अंकित कर कार्यवाही करने का आग्रह किया गया हैं इस कथन के संबंध में उसका प्रमाण भार प्रार्थी पर था, प्रार्थी को यह साबित करना था कि इस धारा का उल्लंघन किस आधार पर हुआ है इसका कोई आधार प्रार्थी ने अपने परिवाद में अंकित नहीं किया है न ही ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज परिवाद के साथ में पेश किया है जिससे यह साबित हो सके कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ZF) (A) (i)(a), 3(1) (ZF) (B) (ii) का उल्लंघन होना और **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। अत: लिया गया नमूना जांच घी (नमस्ते इण्डिया) सर्वगुण सम्पन्न जांच में मिथ्याछाप होना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी पक्ष परिवाद को साबित करने में सर्वथा असफल रहा है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 26 की उपधारा (2) (ii) साबित नहीं होने से साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर